Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF	
Case No L.Q. 7///2 Name and address of the Complainant	
Name , parentage, caste and address of accused	
थर्मन् स्र लर्मन विंहतीम अमु उ० साल वि विनेता	
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission अपमें दिनां 23. 29.16 को समय लगभग 1.10 बजे, स्थान अपने दिनां 23. 29.16 को समय लगभग 1.10 बजे, स्थान अपने दिनां के प्रामा स्थान किया है के वाहन के चलाया और इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की घारा 1.25/1.27 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के सज़ान में आता है। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिस्था चाहते हो। Judicial Margara First The plea of the accused and his examination (if any Gonad distriction and properties)	Slace
अपराध स्वेक्स्या स्वीकार है। Judigial Magistrate First Cla Gohad distr. Binkit (M.P.)	ìss
The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.	

//निर्णय// (आज दिनांक ...23.09.17 ... को, घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक सस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की के तहत
EIRI 129/177 M.V ovet
ज्यानीय आराष्ट्र का तोषी पाते हुए दोषसिद्ध उहराया जाता है।
02 दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध आमलख पर पार
के कि के अपराध का प्रकार का अपराध का प्रकार का
दृष्टिगत रखते हुये आरोपी धर्मेन्द्र वैसे लिएभेश सिह्ताभए डिश्व डिल्ट
को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177 17. ४ १६० के
तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमषः राशि रूपये
कुल एड औं रू० (/ ७०४ -) के
अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
os अर्थदण्ड सदाय में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को 1.º दिवस की
अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
)4 के जिप्तेषुदा सम्पत्ति वाहन क० MP 30 MC 4.98 को
उसके पजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर ट्रंकित

Judicial Manters Effect Class Gollad distr.Bhilid (M.P.)